उ0 प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा--2003 के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश

उ0 प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा--2003 के अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं, वे आवेदन-पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें--

(1) प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या--ए-2/ई-1/2003 द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित कराया गया था।

(2) इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाली रिक्तियों की सम्भावित संख्या 347 है। जो घट बढ़ सकती है।

(3) विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

(4) मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था।

(5) अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा अंक तालिकाओं आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में इन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में जिस श्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, उ0 प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उ0 प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए परीक्षा शुल्क रु0 230.00 है। किन्तु उ0 प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0 प्र0 के अनुसूचित जनजाति, तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रु0 110.00 है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क उनकी श्रेणी के आरक्षित वर्ग के समतुल्य है। जो सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को केवल उत्तर प्रदेश के कोषागार से ही ट्रेजरी चालान द्वारा लेखा शीर्षक "0051--लोक सेवा आयोग, 105--राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क-01-- राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" में देय होगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित शुल्क जो "सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद" को इलाहाबाद में देय हो, भी स्वीकार किये जायेंगे किन्तु उ0 प्र0 के बाहर के अभ्यर्थी केवल बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही परीक्षा शुल्क जमा करें। अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, अनुक्रमांक तथा पता अवश्य लिखें। अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(8) मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु निर्धारित समय तीन घंटे है। प्रश्न-पत्रों हेतु अधिकतम अंक 200 है।

	प्रश्न-पत्र		अधिकतम अंक
1. प्रथम प्रश्न-पत्र	सामान्य ज्ञान		200
2. द्वितीय प्रश्न-पत्र	भाषा :		200
	1--अंग्रेजी निबन्ध	60	
	2--अंग्रेजी सार लेखन	60	
	3--हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	40	
	4--अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	40	
3. प्रश्न-पत्र संख्या--3	विधि--1 (मौलिक विधि)		
4. प्रश्न-पत्र संख्या--4	विधि--2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)		
5. प्रश्न-पत्र संख्या--5	विधि--3 (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियां)		

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

(9) व्यक्तित्व परीक्षा मात्र 100 अंक का होगा।

(10) मुख्य परीक्षा इलाहाबाद तथा लखनऊ नगरों में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है।

(11) अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित उपाधि, प्रमाण-पत्रों, अंक-पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति एवं शुल्क के निमित्त ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति के साथ 27x11.5 से0मी0 साइज के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें। नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्व प्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फार्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है।

(12) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है न कि अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर अलग-अलग लिपि में। प्रश्न-पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे।

(13) परीक्षा की वास्तविक तिथियाँ बाद में सूचित की जायेंगी।

(14) अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक-ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(15) अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि इस परीक्षा में परम्परागत प्रकार के आवेदन-पत्र के साथ ही इसी के साथ प्रेषित किये गये ओ0 एम0 आर0 आवेदन-पत्र को भी भरा जाना है। ओ0 एम0 आर0 आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेश लिफाफे में रखा हुआ है। अनुदेश का भली-भाँति अध्ययन करने के पश्चात ही सही-सही ओ0 एम0 आर0 आवेदन-पत्र तथा परम्परागत आवेदन-पत्र भरें। दोनों प्रकार के आवेदन-पत्र एक ही लिफाफे में रखकर निर्दिष्ट पता लिखे लिफाफे में ही भेजें अथवा आयोग के काउण्टर पर व्यक्तिगत रूप से जमा करें। दोनों आवेदन-पत्र (परम्परागत तथा ओ0 एम0 आर0) एक ही लिफाफे में भर कर वापस न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। दोनों आवेदन-पत्रों में सभी सूचनायें एक सी अंकित करें। दोनों आवेदन-पत्रों में अंकित सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD